

नालन्दा समाहणालय, बिहारशरीफ

(जिला स्थापना शाखा)

संचिका संख्या -69-01/17 पत्रांक 913 /स्था0,

दिनांक 20/8 /2017

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।

सेवा में,

जिला परियोजना पदाधिकारी-सह-
जिला कल्याण पदाधिकारी, नालन्दा ।

विषय :- कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग :- आपके पत्रांक 2271/क0 दिनांक 05.08.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रसांगिक पत्र से मिशन कार्य के संचालन एवं कम्प्यूटर कार्य सम्पादन हेतु एक वर्ष के लिए 01 (एक) कार्यपालक सहायक की अधियाचना की गई है । उक्त अधियाचना के आलोक में जिला में संधारित कार्यपालक सहायक के पैनेल से रोस्टर बिन्दु के अनुसार निम्नांकित कार्यपालक सहायक का नाम अग्रेतर कार्रवाई हेतु निम्न प्रकार भेजा जाता है :-


क्र0	रोस्टर बिन्दु	आरक्षण कोटि	कार्यपालक सहायक का नाम का नाम	अभ्यर्थी का कोटि	पिता का नाम	जन्म तिथि	आवसीय पता	मोबाईल नं0
1	2	3	4	5	6	8	8	9
1	574	अनु0 जाति	आलोक आनंद	पि0व0	श्री विष्णु प्रसाद	12.08.1994	ग्राम+पो0-चोरसुआँ थाना- गिरियक, जिला- नालन्दा	8298794089

अतः निम्नांकित शर्तों के अनुसार उपरोक्त कार्यपालक सहायक का नियोजन पत्र अपने स्तर से निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे ।

- उपरोक्त नियोजित कार्यपालक सहायक को प्रति माह 11345/- (ग्यारह हजार तीन सौ पैतालीस) रूपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा । कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी ।
- नियोजित कार्यपालक सहायक को अपने साथ निम्नलिखित कम्प्यूटर हार्डवेयर लाना होगा ।
क - डेस्क टॉप, ख- एक प्रिंटर,
ग- एक यू0 पी0 एस0, घ- इन्टरनेट कनेक्शन हेतु डाटा कार्ड
- कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी ।
- यह नियोजन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए अथवा यदि विभाग के द्वारा पहले समाप्त किया जाता है तब उस अवधि के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी । नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा किये गये कार्यों का मोनिटरिंग के पश्चात कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बताये संविदा रद्द कर दिया जाएगा ।
- नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा नियोजित पद से त्याग करने की स्थिति में उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी। निर्धारित समय के अन्दर पद त्याग करने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, अथवा एक माह का मानदेय भुगतान रोक ली जायेगी ।
- संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक का सरकारी सेवा हेतु किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

7. योगदान के साथ असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दो फोटो तथा नियोजन की शर्त को मानने संबंधी एकरारनामा पदस्थापित कार्यालय में समर्पित करना होगा ।
8. शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र पदस्थापित कार्यालय द्वारा संबंधित संस्थान/कार्यालय से सत्यापन कराने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।
9. नियोजित कार्यपालक सहायक को पत्र प्राप्ति के साथ अविलम्ब योगदान देना होगा । अन्यथा उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी ।
10. नियोजन अधिध पूर्ण होने से एक माह पूर्व संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा नियोजित कार्यपालक सहायक का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं कार्य अधिध विस्तार की अनुशंसा किये जाने पर संबंधित कार्यालय/विभाग के राक्षम पदाधिकारी द्वारा संविदा विस्तार की कार्रवाई की जायेगी ।

विश्वासभाजन


जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।

नालन्दा सभाहरणालय, बिहारशरीफ

(जिला स्थापना शाखा)

संचिका संख्या -69-01/17 पत्रांक/स्था0,

दिनांक/2017

-: आदेश :-

सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3004 दिनांक 10.03.2017 के आलोक में NDAL (National Database of Arms Licence)-ALIS (Arms Licence Issuance System) के Software पर शस्त्र अनुज्ञप्ति के निष्पादन हेतु जिला में संधारित कार्यपालक सहायक के पैनल से रोस्टर बिन्दु अनुसार निम्नलिखित dedicated पूर्णकालीन कार्यपालक सहायक का नियोजन (श्री अमन कुमार के योगदान नहीं करने के कारण रिक्तस्थान पर) किया जाता है। उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे अपने नियोजित कार्यालय में अपना योगदान अबिलंब देना सुनिश्चित करेंगे।

क्र 0	रोस्टर बिन्दु	आरक्षण कोटि	कार्यपालक सहायक का नाम	पिता/पति का नाम	पता एवं मोबाईल नं0	कोटि	जन्म तिथि	नियोजित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	573	अनारक्षित महिला	पिन्दु कुमार	श्री धर्मदेव साव	ग्राम- बिहारी रोड हिलसा, देवी स्थान के नजदीक, पो0+थाना- हिलसा जिला- नालन्दा मो0- 9204086570	पि0व0	22.06.1994	जिला शस्त्र शाखा, (सामान्य शाखा) नालन्दा

नियोजन के लिए शर्तें :-

- उपरोक्त नियोजित कार्यपालक सहायक को प्रति माह 11345/- (ग्यारह हजार तीन सौ पैतालीस) रुपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा। कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
- नियोजित कार्यपालक सहायक को अपने साथ निम्नलिखित कम्प्यूटर हार्डवेयर लाना होगा।
क - डेस्क टॉप, ख- एक प्रिंटर,
ग- एक यू0 पी0 एस0, घ- इन्टरनेट कनेक्शन हेतु डाटा कार्ड
- कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
- यह नियोजन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए अथवा यदि विभाग के द्वारा पहले समाप्त किया जाता है तब उस अवधि के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी। नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा किये गये कार्यों का मोनिटरिंग के पश्चात कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बताये संविदा रद्द कर दिया जाएगा।
- नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा नियोजित पद से त्याग करने की स्थिति में उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी। निर्धारित समय के अन्दर पद त्याग करने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, अथवा एक माह का मानदेय भुगतान रोक ली जायेगी।
- संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक का सरकारी सेवा हेतु किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- योगदान के साथ असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दो फोटो तथा नियोजन की शर्तों को मानने संबंधी एकरारनामा पदस्थापित कार्यालय में समर्पित करना होगा।
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र पदस्थापित कार्यालय द्वारा संबंधित संस्थान/कार्यालय से सत्यापन कराने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- नियोजित कार्यपालक सहायक को पत्र प्राप्ति के साथ अविलम्ब योगदान देना होगा। अन्यथा उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी।

u


10. नियोजन अविधि पूर्ण होने से एक माह पूर्व संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा नियोजित कार्यपालक सहायक का कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन एवं कार्य अवधि विस्तार की अनुशंसा भेजना अनिवार्य होगा। ससमय अनुशंसा प्राप्त नहीं होने पर संविदा स्वतः रद्द हो जायेगी। इसके लिए कोई अलग से पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा एवं जिला में संधारित कार्यपालक सहायक के पैनल से रिक्ति स्थान पर नियोजन की प्रक्रिया की जायेगी।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

ज्ञापांक११२...../स्था0, दिनांक ...३०/११/१७.....

- प्रतिलिपि :- संबंधित कार्यपालक सहायक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गवर्नेंस कोषांग, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ

(जिला स्थापना शाखा)

संचिका संख्या -69-01/17 पत्रांक११...../स्था०,

दिनांक ...३२/०८/२०१७

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।

सेवा में,

उपाधीक्षक,
शारीरिक शिक्षा, नालन्दा ।

विषय :- कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग :- आपके पत्रांक 78 दिनांक 16.08.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रसांगिक पत्र से खेल एवं शारीरिक शिक्षा कार्यालय में कम्प्यूटर कार्य सम्पादन हेतु 11 (ग्यारह) महीने के लिए 01 कार्यपालक सहायक की अधियाचना की गई है । उक्त अधियाचना के आलोक में जिला में संधारित कार्यपालक सहायक के पैनल से रोस्टर बिन्दु के अनुसार निम्नांकित कार्यपालक सहायक का नाम अग्रेतर कार्रवाई हेतु निम्न प्रकार भेजा जाता है :-

क्र०	रोस्टर बिन्दु	आरक्षण कोटि	कार्यपालक सहायक का नाम का नाम	अभ्यर्थी का कोटि	पिता का नाम	जन्म तिथि	आवसीय पता	मोबाईल नं०
1	2	3	4	5	6	8	8	9
1	572	पि०व०	अरविन्द किशोर गुड्डू	पि०व०	श्री विकल महतो	03.05.1988	मो०- आशानगर (तलाबपर) पो०+थाना- सोहसराय जिला- नालन्दा ।	9431272768

अतः निम्नांकित शर्तों के अनुसार उपरोक्त कार्यपालक सहायक का नियोजन पत्र अपने स्तर से निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे ।

- उपरोक्त नियोजित कार्यपालक सहायक को प्रति माह 11345/- (ग्यारह हजार तीन सौ पैतालीस) रुपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा । कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी ।
- नियोजित कार्यपालक सहायक को अपने साथ निम्नलिखित कम्प्यूटर हार्डवेयर लाना होगा ।
क - डेस्क टॉप, ख- एक प्रिंटर,
ग- एक यू० पी० एस०, घ- इन्टरनेट कनेक्शन हेतु डाटा कार्ड
- कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी ।
- यह नियोजन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए अथवा यदि विभाग के द्वारा पहले समाप्त किया जाता है तब उस अवधि के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी । नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा किये गये कार्यों का मोनिटरिंग के पश्चात कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बताये संविदा रद्द कर दिया जाएगा ।
- नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा नियोजित पद से त्याग करने की स्थिति में उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी। निर्धारित समय के अन्दर पद त्याग करने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, अथवा एक माह का मानदेय भुगतान रोक ली जायेगी ।
- संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक का सरकारी सेवा हेतु किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

ई-मेल :- dm-nalanda.bih@nic.in

दूरभाष सं० :-06112-235204(R), 235203(O)


फैक्स सं० :- 06112-235205(R), 236854(O)

जिला बेवसाईट :-http://nalanda.bih.nic.in

D:\Establishment 2015-16\69\69-01-17 Executive Assistant.doc

7. योगदान के साथ असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दो फोटो तथा नियोजन की शर्त को मानने संबंधी एकरारनामा पदस्थापित कार्यालय में समर्पित करना होगा ।
8. शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र पदस्थापित कार्यालय द्वारा संबंधित संस्थान/कार्यालय से सत्यापन कराने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।
9. नियोजित कार्यपालक सहायक को पत्र प्राप्ति के साथ अविलम्ब योगदान देना होगा । अन्यथा उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी ।
10. नियोजन अधिध पूर्ण होने से एक माह पूर्व संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा नियोजित कार्यपालक सहायक का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं कार्य अवधि विस्तार की अनुशंसा किये जाने पर संबंधित कार्यालय/विभाग के सक्षम पदाधिकारी द्वारा संविदा विस्तार की कार्रवाई की जायेगी ।

विश्वासभाजन



जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।